सूचना

8.33% कोटा के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) विद्युत एवं यॉत्रिक संवर्ग की दिनांक 17.01.2022 को सम्पन्न हुयी लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम

170122001	170122002	170122003	170122004	170122005	170122006
170122007	170122008	170122009	170122010	170122011	170122012
170122013	170122014	170122015	170122016	170122017	170122018
170122019	170122020	170122021	170122022	170122023	170122024
170122025	170122026	170122027	170122028	170122029	170122030
170122031	170122032	170122033	170122034	170122035	170122036
170122037	170122038	170122039	170122040	170122041	170122042
170122043	170122044	170122045	170122046	170122047	170122048
170122049	170122050	170122051	170122052	170122053	170122054
170122055	170122056	170122057	170122058	170122059	170122060
170122061	170122062	170122063	170122064	170122065	170122066
170122067	170122068	170122069	170122070	170122071	170122072
170122073	170122074	170122075	170122076	170122077	170122078
170122079	170122080	170122081	*********	*********	*********

नोटः–

1. उक्त परीक्षा परिणाम निगम निगम वेबसाइट www.uprvunl.org पर देखा जा सकता है।
2. यह मेरिट लिस्ट नहीं है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम अनुक्रमांकों के बढ़ते क्रम में है। यद्यपि उपरोक्त परीक्षा परिणाम की अपलोडिंग में सभी प्रकार की सावधानियॉ अपनायी गयी है, फिर भी किसी भी अपलोंडिग त्रुटि के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग जिम्मेदार नहीं है तथा सभी प्रकार के भूल–चूक के सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना मात्र, चयन/पदोन्नति का अधिकार प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा तथा अभिलेखीय परीक्षण में सम्मिलित होना अनिवार्य है, जो कि अप्रैल, 2022 के द्वितीय सप्ताह में होना संभावित है जिसकी विस्तृत सूचना अलग से निगम वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करायी जायेगी।
4. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अभिलेखीय परीक्षण के समय जॉचोपरान्त असत्य/अपूर्ण/प्रस्तुत नहीं किये जाते है या निर्धारित अर्हता के अनुकूल नहीं पाये जाते है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने एवं यहाँ तक कि चयनोपरान्त अथवा पदोन्नति के उपरान्त भी निरस्त करने का अधिकार उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पास सुरक्षित रहेगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्जित किया गया है, तो वह विषयगत चयन परीक्षा के लिए उ0नि0लि0 में मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी सुनिश्चित करते हुए द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित हों अन्यथा चयन प्रकिया के दौरान या चयनोपरान्त जिस किसी भी स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्जित डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आता है तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. यदि अभ्यर्थियों द्वारा डिप्लोमा/डिग्री प्रमाण पत्र निगम में नियुक्ति के उपरान्त अर्जित किये गये है तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र अभिलेखीय परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

26/03/2022

सचिव
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग